

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स:- 0141-2742309, ई मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(सी-1272/2013)/ अलेसे-III/1008
कार्यालय आदेश

दिनांक :- 29.8.2022

श्री चेतन कुमार सैनी, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांगानेर (जयपुर) को निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने के कारण राजस्थान सिविल सेवा (सी.सी.ए) नियमों के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में दिनांक 12.04.2022 से निलम्बित किया गया था।

श्री चेतन कुमार सैनी, कनिष्ठ लेखाकार के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गुणवगुण आधार पर परीक्षण करने के उपरान्त लिए गए निर्णय के आधार पर श्री चेतन कुमार सैनी को जॉच लम्बित रखते हुए पूर्व स्थानांतरण स्थान कार्यालय पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ में कार्यग्रहण करने की शर्त पर निलम्बन से बहाल किया जाता हैं।

निलम्बन अवधि का निर्णय जॉच के अध्यक्षीन रहेगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(सी-1272/2013)/ अलेसे-III/1008

दिनांक :- 29.8.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, सांगानेर (जयपुर)
- 3 पुलिस अधीक्षक, चित्तौडगढ़ ।
- 4 कोषाधिकारी, जयपुर (शहर)।
- 5 श्री चेतन कुमार सैनी, कनिष्ठ लेखाकार मुख्यालय कोषाधिकारी (शहर) जयपुर।
- 6 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 7 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 8 जॉच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)